प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बिन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र
प्रीति बिहार नई दिल्ली।

पत्रांक: MTO-1/ /2009-10 दिनांक 15-1-2010

विषय:- उडवर्ड पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस पावर हाउस रोड, भदोही को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14-7-2009 द्वारा प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओ को सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओ को अनापत्ति प्रमाध पत्र राज्य सरकार के स्थान पर संबंधित मंडल के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उ0प्र0 शासन के उक्त आदेश के अनुसार जनपद भदोही में स्थित संस्था, उडवर्ड पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस पावर हाउस रोड भदोही के आवेदन पत्र पर मंडल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली में संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को निम्नलिखित प्रतिबंधो केअधीन आपत्ति नही है-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदो से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

क्रमशः........2/

Manager
Woodward Public School
Sonkhar, Gyanpur Road
Gopiganj-221303 U.P.

Shalini
Mrs. Shalini
Principal
Woodward Public School
AFF. No.2131227. School Code:71187
Civil Lines, Power House Road
Bhadohi-221401 U.P.

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओ में रखा जायेगा।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधो का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है जो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

§उपेन्द्र कुमार§
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।

पृ0सं0: मा0-1/ 3467-3473 /2009-10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक §मा0§ उ0प्र0 लखनऊ।
3- आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक, स0र0न0 भदोही।
5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबंधक, उडवर्डपब्लिक स्कूल सिविल लाइंस पावर हाउस रोर्ड भदोही।
7- गार्ड फाइल।

§उपेन्द्र कुमार§
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।

Mrs. Shalini
Principal
Woodward Public School
AFF. No.2131227. School Code:71187
Civil Lines, Power House Road
Bhadohi-221401 U.P.

संख्या–1916 / 15–7–09–1(299) / 2007

प्रेषक,

एफ०एन० प्रधान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ०प्र०, लखनऊ ।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2009

विषयः– प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन,नईदिल्ली / सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2762 / 15–13–91–41461 / 91, दिनांक 30 नवम्बर, 1991, संख्या–1546 / 1577–93–16(17) / 1992, दिनांक 04.01.1994 एवं सं0–5001 / 15–7–16(17) / 1992, दिनांक 29 नवम्बर, 1997 के द्वारा प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थाओं को काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली / सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु निर्धारित तत्कालीन प्रकिया को संशोधित करते हुए मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा संस्थाओं को सामान्य शर्तों के अधीन कतिपय प्रतिबन्धों सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु प्रकिया निर्धारित की गई है।

2– सी०बी०एस०ई बाइलाज के अन्तर्गत किसी संस्था को संबद्धता तभी प्रदान की जायेगी जब राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित संस्था को जारी किये जायेगें। इस संबंध में सी०बी०एस०इ० बाइलाज के अध्याय–2 की धारा 3(1) निम्नवत् हैः–

(3) (I) The school should have formal recognition by the State Government and its application should be forwarded by the State Government or there should be a No. Objection Certificate to the effect that the State Government has no Objection to the affiliation of the school with the C.B.S.E.

आई०सी०एस०ई० बाइलाज के अन्तर्गत अध्याय–1 की धारा 2.a(I) में प्राविधान निम्नवत् किया गया हैः–

2.(a) The Council Will arrange for an inspection of the school only.
(I) after the school has obtained a Certificate of Recommendation/No Objection Certificate from the State Department of Education or has been exempted from this requirment by the appropriate Courts.........

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7(ख) के अन्तर्गत प्रदेश में डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध है। इसी प्राविधान को देखते हुये प्रदेश के बाहर स्थित

Manager
Woodward Public School
Sonkhari, Gyanpur Road
Gopiganj-221303 U.P.

Mrs. Shalini
Principal
Woodward Public School
AFF. No.2131227, School Code:71187
Civil Lines, Power House Road
Bhadohi-221401 U.P.

परीक्षा परिषदों (सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0) की अनुमति दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

3– सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0सी0 के बाईलाज में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की व्यवस्था है। शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर,1991 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0सी0 द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के लिए अनापत्ति प्रदान किये जाने की सामान्य शर्ते निर्धारित की गयी हैं। शासनादेश के प्रस्तर–पॉच के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु संस्थाओं की सोसायटी बाईलाज में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो का समावेश किया जाना अनिवार्य है। अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में आख्या एवं संस्तुति भेजते समय संस्थाओं द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि संबंधित संस्था द्वारा सोसायटी नियमावली में उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित शर्तो को समाविष्ट किये जाने के लिए प्रबंधतंत्र की सहमति से विधिवत् प्रस्ताव पारित किया गया है। संस्था द्वारा सोसायटी के नियमावली में शर्तो के समाविष्ट किये जाने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा संस्था को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 की संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जिसमें संस्था द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता है।

4– यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु संस्था प्रबंधक द्वारा शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर,1991 में निर्धारित प्रकिया एवं प्रारूप पर आवेदन पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर प्रत्येक बिन्दु पर आख्या/संस्तुति निदेशक (मा0) को उपलब्ध कराया जाता है। निदेशक (मा0) से आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की यह प्रकिया जहाँ एक ओर जटिल तथा समयसाध्य है वहीं दूसरी ओर संबंधित संस्थाधिकारी को अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जनपद स्तर से शासन स्तर पर प्रकियान्तर्गत होने वाले विलम्ब एवं अनुभूत कठिनाइयों एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत संस्थाहित में आवश्यक है कि वर्तमान प्रकिया में बदलाव करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की व्यवस्था को विकेन्द्रित कर दिया जाय।

5– अतः वर्णित परिस्थितियों में प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा दिया जायेगा:–

(क) मण्डलायुक्त,संबंधित मण्डल – अध्यक्ष
(ख) जिलाधिकारी,संबंधित जनपद – सदस्य
(ग) संयुक्त शिक्षा निदेशक,संबंधित मण्डल – सदस्य सचिव
(घ) जिला विद्यालय निरीक्षक,संबंधित जनपद – सदस्य

6– संस्था प्रबंधतंत्र द्वारा शासनादेश 30 नवम्बर,1991 में निर्धारित प्रकिया एवं प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक को आवेदित किया जायेगा। संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा अधिकतम दो माह के अन्दर संबंधित आवेदित विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करके उक्त शासनादेश में इंगित बिन्दुओं पर

Manager
Public Scho
...anpur Roa
...1303 U.P.

Mrs. Shalini
Principal
Woodward Public School
AFF. No.2131227 School Code:71187
Civil Lines, Power House Road
Bhadohi-221401 U.P.

स्पष्ट आख्या संबंधित मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी। आख्या प्राप्त होने पर उपर्युक्त गठित समिति द्वारा अधिकतम एक माह के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर निर्णय लेकर सभी संबंधित तथा सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 बोर्ड एवं शिक्षा निदेशक,माध्यमिक को सूचित किया जायेगा।

भवदीया,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1916(1) / 15–7–2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3– सचिव,कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन,प्रगति हाउस, तृतीय तल,47–48,नेहरू प्लेस,तृतीय तल,नईदिल्ली।
4– सचिव,केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,प्रीति विहार, नईदिल्ली।
5– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पृ0सं0: मा0(1)(शि विर/एनओसी/ 4106-4195 /2009-10, दिनांक- 15/7/2009

उपरोक्त शासनादेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश ।

श्रीमती (रूबी सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (शि विर)
कृते शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0लखनऊ।

Mrs. Shalini
Principal
Woodward Public School
AFF. No.2131227, School Code:71187
Civil Lines, Power House Road
Bhadohi-221401 U.P.

Manager
Woodward Public School
Sonkhari, Gyanpur Road
Gopiganj-221303 U.P.